(346)

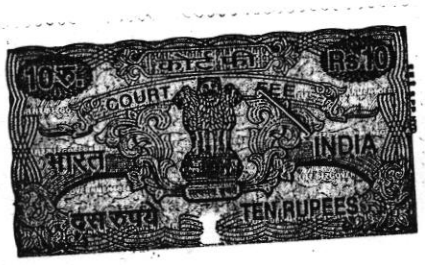

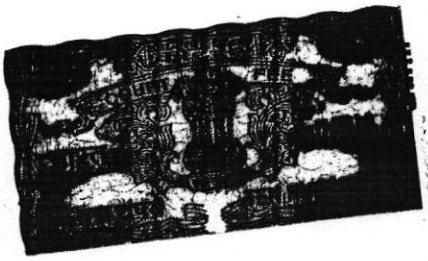

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

III/निग०/भिण्ड/भू०रा०/2017/3287

प्रकरण क्रमांक /२०१७- निगरानी

रमेश शर्मा पुत्र कालीचरन, निवासी ग्राम सरसैड,
तेहसील- मेहगांव जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश । 1-

------ प्रार्थी

प्रस्तुत कर्ता अभिभाषक
13-9-17

13-9-17

बिरुध्द

बृजेश शर्मा पुत्र बालमुकुन्द शर्मा, निवासी ग्राम-सरसैड,
तेहसील- मेहगांव, जिला-भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्रार्थी

(12 28.09.17)

निगरानी बिरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय मेहगांव दिनांक २४-०८-२०१७, अन्तर्गत धारा ५०-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ प्र०क्र० ४४/१६-१७-बी-१२१ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, प्रार्थी विवादित भूमि का अभिलिखित भूमि स्वामी है । प्रार्थी को विधिवत जांच के पश्चात् वर्ष २००२ में विवादित भूमि का व्यवस्थापन किया गया है जिसका अंकन राजस्व अभिलेख में भी है । प्रतिप्रार्थी के व्दारा प्रस्तुत शिकायत में एस०डी०ओ० महोदय व्दारा प्रकरण में जांचप्रार्थी को प्रदत्त व्यवस्थापन पट्टे की, की जा रही है, ऐसी स्थिति में व्यवस्थापन के सम्बन्ध में मूल प्रकरण को साक्ष्य के लिये आहूत किया जाने से इंकार किये जाने में भूल की है ।

(3)

क्रमश:---२

XXIX(a)-BR(H)-11

346

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3287

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक24-4-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	